न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 21/2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. रमेश कुमार पुत्र हस्तीमल जैन निवासी सियाणी जिला बाड़मेर (मैसर्स स्वरूप किराणा स्टोर, सियाणी, बाड़मेर का मालिक)
2. मंजू लता पत्नी अशोक कुमार प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स महालक्ष्मी मार्केटिंग, कृषि उपज मण्डी बाड़मेर
3. कल्पेश भाई फूल भाई थूमर प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स विश्वा फूड प्रोडक्ट प्लॉट नंबर 21 प्रथम इण्डस्ट्रीयल एसेट्स, हाथोडा, मंगरोल, सूरत (गुजरात)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 05.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स स्वरूप किराणा स्टोर, सियाणी, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **24.01.2022** को अलग–अलग पैकिंग में भरा हुआ खाद्य पदार्थ **घी विश्वा (500 एमएल)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमए[illegible] क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1590** अंकित कर इसकी जांच खाद्य [illegible] मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] वाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी** [illegible] नमूना वास्ते जांच [illegible] विश्लेषक,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:16 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी विश्वा (500 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी विश्वा उसके द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी मार्केटिंग कृषि उपज मण्डी बाड़मेर से क्रय किया जाकर जिस अवस्था में खरीदा जाता है उसी अवस्था में बेचा जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी विश्वा उसके द्वारा मैसर्स विश्वा फूड प्रोडक्ट प्लॉट नंबर 20 से 23 प्रथम इण्डस्ट्रीयल एसेट्स, हाथोडा, मंगरोल, सूरत (गुजरात) से खरीदा गया था। उक्त खाद्य पदार्थ घी में उसके द्वारा बिना कोई हेर–फेर किये जिस अवस्था में खरीदा जाता है उसी अवस्था में बेचा जाता है। लिहाजा उसके विरूद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण कर उसे राहत प्रदान की जावे। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने लिखित जवाब में प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी उसकी कम्पनी द्वारा स्टैण्डर्ड कंपनी के बटर से बनाया जाता है जिसमें उनके द्वारा किसी तरह के अखाद्य पदार्थ की मिलावट नहीं की जाती है। कभी–कभी गुजरात की कंपनी से भी बटर खरीदा जाता है जिसमें कॉटन ट्रेक एरिया से भी बटर आता है जिस कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक आ सकता है। भविष्य में उक्त खाद्य पदार्थ की क्वालिटी उत्तम रहे इस बात का वह पूरा ध्यान रखेगा एवं ऐसी गलती वापिस नहीं होगा। लिहाजा उसके विरूद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण कर उसे राहत प्रदान की जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **09.03.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। अप्रार्थीगण ने लिखित में पृथक–पृथक जवाब में प्रकरण को निस्तारित कर माफी प्रदान करवाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत परिवाद **घी विश्वा (500 एमएल)** से संबंधित है, जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:16 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

प्रयोगशाला जांच में Butyrorefractometer reading at 40^0 C का मानक स्तर 40.0 से 43.5 के मुकाबले 43.84 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के तथ्य का अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 1,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.09.23 11:06:16 IST
Reason: SelfAttested